न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 04/2020 दायरा दिनांक : 06.01.2020

उनवान

1— कान्हा आत्मज केवल जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सिलेहगढ़, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— मांगीलाल आत्मज केवल जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सिलेहगढ़, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— किशन आत्मज केवल जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सिलेहगढ़, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.07.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 101/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया है । ग्राम सिलेहगढ़ तहसील पचपहाड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 985 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 986 रकबा 11 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1305 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा आराजी अपीलांट का वाद आवंटन से निरन्तर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा आज भी राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता को आवंटित हुई थी । आवंटन के बाद से राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी प्रदान की गई, पिता की मृत्यु के बाद अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम गैरखातेदारी दर्ज हो रही है । रेकार्ड में गैरखातेदारी होने से अपीलांट कृषि ऋण आदि में परेशानी होने से अपीलांट द्वारा खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 अपास्त कियाक जावे ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता केवल को आवंटन हुई थी । केवल की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम वादग्रस्त आराजी गैरखातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु पक्षकारान ने कार्यवाही की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट के पक्ष में खातेदारी नहीं देकर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांटगण ने अपने पक्ष के बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया । अपीलांटगण ने आवंटन आदेश भी पेश नहीं किया जिससे की साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी केवल को आवंटन हुई थी । मात्र घोषणा के दावे से पक्षकारों को खातेदारी नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में 3 तनकी कायम की है तथा तीनों का विस्तार से विवेचन कर वादी का वाद अस्वीकार योग्य पाया है । अधीनस्थ का निर्णय उचित है इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– कान्हा आत्मज केवल जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सिलेहगढ़, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
2– मांगीलाल आत्मज केवल जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सिलेहगढ़, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
3– किशन आत्मज केवल जी, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सिलेहगढ़, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेंट

अपील नं. 04/2020 व नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी

मु.द.नं 101/दावा/2017 निर्णय एवं डिकी दिनांक – 30.09.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह 07 सन् 2021

हाजरी **श्री घनश्याम नागर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **पैराकार सरकार** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.09.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व. मोहर अदालत आज तारीख **19** माह **07** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.